पत्र संख्या-स्था-5(ग)-ज्येष्ठता पत्रावली /2024-25// 741 //राज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 17 05, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तरप्रदेश।
अपर निदेशक (प्रशिक्षण) प्रशिक्षण संस्थान, राज्य कर, गोमतीनगर लखनऊ।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर, मुख्यालय ।
पटल प्रभारी स्था–6 (सामान्य) व 5 (ख), स्थापना अराजपत्रित अनुभाग, राज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ ।

....

वाणिज्य कर विभाग में दिनांक 22.02.2016 तथा पूर्व मनोरंजन कर विभाग में दि0 08.06.2017 तक मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों की समेकित अन्तिम ज्येष्ठता सूची (शासन के पत्र संख्या–946 / 11–3–2022–103 / 2017 टी0सी0 दिनांक 21–07–2022 द्वारा मनोरंजन कर विभाग के समस्त अधिकारियों, निरीक्षकों और अन्य कर्मचारियों का वाणिज्य कर विभाग के सम्बन्धित संवर्गों में संविलियन नियमावली–2022 के कम में) परिपत्र संख्या 1178 दिनांक 06.06.2023 द्वारा जारी की गयी थी।

आगामी चयन वर्ष 2024–25 में आशुलिपिक संवर्ग के पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की जानी है । अतः आप अपने जोन / संभाग / कार्यालय में कार्यरत आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे **परिपत्र संख्या 1178 दिनांक 06.06.2023 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची का भली भॉति अवलोकन कर लें तथा यदि आशुलिपिक संवर्ग के किसी भी कार्मिक का नाम उक्त ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित होने से रह गया हो तो लौटती डाक से /तत्काल उसकी सूचना निम्न प्रारुप पर मुख्यालय प्रेषित करवाने का कष्ट करें :–**

क0सं0	कार्मिक का नाम	पदनाम	नियुक्ति पत्र जारी करने का दिनॉक	नियुक्ति का दिनॉक	नियुक्ति का प्रकार / सीधी / मृतक आश्रित / स्थायीकरण का दि0
1	2	3	4	5	6

उक्त के अतिरिक्त मुख्यालय के परिपत्र संख्या 5103 दि0 16.02.2024 द्वारा वॉछित सूचना (आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों की विभागीय कार्यवाही /प्रतिकूल तथ्य की सूचना) भी **दिनॉक 10.06.2024 तक प्रत्येक दशा में मुख्यालय प्रेषित करवाने का कष्ट करें ।**

उक्त सूचनाओं के अभाव में यदि किसी भी अपात्र कार्मिक की पदोन्नति हो जाती है अथवा कोई पात्र कार्मिक पदोन्नति पाने से वंचित रह जाता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यालय का होगा ।

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

steno letter new 2023